रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2581] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 6, 2017/भाद्र 15, 1939
No. 2581] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 6, 2017/ BHADRA 15, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2017

का.आ. 2942 (अ). – प्रारूप अधिसूचना भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 3124 (अ), तारीख 20 नवम्बर, 2015, द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह उक्त प्रारूप अधिसूचना अंतर्विष्ट है, जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त राजपत्र, जिसमें प्रारूप अधिसूचना अंतर्विष्ट है, की प्रतियां जनता को 20 नवम्बर, 2015, को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना के उत्तर में सभी व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार किया गया है;

और, नरपुह वन्यजीव अभयारण्य, पूर्व जनिता पहाड़ी जोवाई, मेघालय में 25°05'19" से 25°06'14" उत्तर अक्षांश और 92°21'04"से 92°31'38" के बीच स्थित है;

और, पुष्प एवं प्राणिजात इस अभयारण्य के प्रचुर जैविक महत्व का द्योतक है अभयारण्य इसके इर्द गिर्द आरक्षित वन से घिरा हुआ है, दक्षिण पश्चिम और पूर्वी भाग के सिवाय जो असम जिले के ग्रामों से घिरा हुआ है; उत्तरी भाग लुखा नदी से घिरा हुआ है जो एक प्राकृतिक अवरोध उत्पन्न करती है; संपूर्ण क्षेत्र में ऐसे वनस्पति एवं जीवजन्तु प्रजातियों की भरमार है जो पारिस्थितिकी एवं औषधीय महत्व के है; अभयारण्य कुछ शेष वन्यजीव आवासों में एक आवास है और इसमें प्रजाति विविधता वाले स्तनधारी जीव हुलक ऊलक, सेराव, लजीला वानर, रीछ, बड़ा भारतीय गंध बिलाव, तेंदुआ बिल्ली, लमचित्ता, मुंजक और गिलहरियों की विभिन्न प्रजातियां है संतरी तोंदु हिमालयन, गिलहरी, उत्तरी पाम गिलहरी, ईरावाडी गिलहरी, ऊदबिलाव, नेवला तथा चमगादड़ की प्रजातियां अर्थात् समवर्गी अश्वनाल चमगादड़, वृहद् पूर्वी अश्व चमगादड़ इत्यादि नरपुह आरक्षित खंड II भी पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों के लिए आवास है जिसमें

गौरेया को अभी भी देखा जा सकता है। भिन्न भिन्न प्रकार के तितलियों तथा मछलियों की प्रजातियां जिनमें से कुछ इन क्षेत्रों में संकटग्रस्त हैं और कुछ स्थानिक हैं।

और,इस क्षेत्र में गर्मियों, उच्च आर्द्रता और उच्च तापमान के कारण वर्षा होती है और इन सभी कारकों में पौधों की विविध प्रजातियों की एक प्रचुर मात्रा में सीमा सुनिश्चित होती है; क्षेत्र में वनस्पति मिश्रित वन और कोई भी प्रजाति नहीं है; और क्षेत्र की अनुपलब्धता के कारण वनस्पति काफी कम नहीं है; यह वन प्रकार मुख्य ऊपरी छातरियों के गुंछे बनाने के लिए लंबे सदाबहार वृक्ष की विशेषता है, जो निरंतर नहीं है और कम ऊंचाई वाले छोटे वृक्षों की छत के नीचे पूरा किया जाता है, बांस आमतौर पर नम क्षेत्रो से आती है ; इपीफाइटस् प्रचुर मात्रा में पाए जाते है कुछ पर्वतारोहियों और डिफ्टरोकारोप्स के साथ पाए जाते है केवल स्थानीय पैच में ही दुलर्भ होते है और वृक्ष प्रकार के होते है जैसे *मेसुअ फेर्रा, माकरानगा स्पा, दुअबांगा स्पा, इयुगेना जुमबोलीना, टर्मिनालिया मयरोकारपा, टर्मिनालिया चेबुला, वीटक्स पेंदुंकुलारीस, वीटक्स नेगुंदो, मेचेलि चामपाका, गमेलिना अरबोरेअ, डायसोक्यलुम बेनेकटीफेरूम और अमौरा वाल्लिची है;*

और, नरपुह वन्यजीव अभयराण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण और पारिस्थितिक की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों और उद्योगों के वर्गो और उनके प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मेघालय राज्य में नरपुह वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 1.20 किलोमीटर से 7.70 किलोमीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को नरपुह अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**–(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार, नरपुह वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 1.20 किलोमीटरों से 7.70 किलोमीटर में 194.23 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है सीमाओं का वर्णन **उपाबंध I** में दिया गया है।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध II** में दी गई है।

(3) नरपुह वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के साथ भू-मंडलीय स्थित प्रणाली के निर्देशांको के बिंदु **उपाबंध II(क)** के रूप में उपाबद्ध है।

(4) पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र **उपाबंध III** के रूप में उपाबद्ध हैं।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना – (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना ऐसी रीति जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरुप और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी।

(3) आंचलिक महायोजना, पर्यावरणीय और पारिस्थितिक संबंधी बातों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के सभी संबद्ध विभागों के परामर्श से तैयार होगी --

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) कृषि और बागवानी ;

(iv) राजस्व;

(v) शहरी विकास;

(vi) पर्यटन सहित पारिस्थितिक पर्यटन ;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिक और शहरी विकास;

(x) पंचायती राज;

(xi) लोक निर्माण विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में और अधिक दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूलता का संवर्धन करेगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों क्षेत्रो के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(6) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी और इस योजना के मानचित्र के साथ विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं का विवरण संलग्न होगा ।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और पैरा 4 के सारणी में सूचीबद्ध प्रतिषिद्ध, विनियमित क्रियाकलापों का पालन करेगी तथा स्थानीय समुदायों की आजीविका सुरक्षा के लिए, पारिस्थितिक अनुकूल विकास सुनिश्चित करेगी तथा संवर्धित करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में दिए गए उपबंधों के संबंध में अपने कार्यों के बाहर ले जाने के लिए निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय–**राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:--

(1) **भू-उपयोग –**पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि और अन्य भूमियों का संपरिवर्तन निगरानी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, जो स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए है तथा क्रियाकलापों के लिए जैसे:-

(i) विद्यमान सड़के और नई सड़कों संनिर्माण को चौड़ा और सुदृढ करना;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाओं सहायक पारिस्थितिक पर्यटन में सम्मिलित ग्रह वास; और

(v) संवर्धित क्रियाकलाप और अनुच्छेद 4 के अंतर्गत दिया गया है:

परंतु यह और भी संविधान के अनुच्छेद 244 और तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा;

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत**-आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों/नदियों/जलसरणी की पहचान की जाएगी और उसमें उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी।

(3) **पर्यटन–** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिक पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे।

(ख) पारिस्थितिक पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, द्वारा राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी।

(घ) पारिस्थितिक पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) नरपुह वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, जो भी निकट हो, किसी होटल या रिसोर्ट का नया संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा परंतु, वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक नए होटलों और रिसोर्टों की स्थापना पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन सुविधाओं के लिए पूर्व सीमांकित और पदाभिहित क्षेत्रों में ही अनुज्ञात की जाएगी।

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलापें या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों तथा पारिस्थितिक पर्यटन पर बल देते हुए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन मार्गदर्शी सिद्धांतों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया होगा।

(4) **नैसर्गिक विरासत –** पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और विरासत संरक्षण योजना उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए तैयार की जाएगी जो ऐसी आंचलिक महायोजना का भाग होगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल –** पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक, सौंदर्यपरक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों और परिवेश की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के रूप में तैयार की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** – पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण का नियंत्रण और निवारण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, के अधीन बनाए गए ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के उपबधों के अनुसरण में किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण** – पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण का नियंत्रण और निवारण (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में किया जाएगा

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** – पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) **ठोस अपशिष्ट –** ठोस अपशिष्टों का निपटान और प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा–

(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट निपटान और प्रबंधन समय-समय पर संशोधित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, जो भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ) तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकार्य रीति में होगा;

(ख) पहचानी गई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन (ई एस एम) सुरक्षित पर्यावरणीय ठोस प्रबंधन से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर अनुज्ञात किया जाएगा।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट-** जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा—

(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.का.नि 343 (अ) तारीख 28 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ख) पहचानी गई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन सुरक्षित पर्यावरणीय ठोस प्रबंधन से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर अनुज्ञात किया जाएगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(13) **ई–अपशिष्ट:-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित ई–अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय परिवहन: -** परिवहन की यानीय संचालन आवास के अनुकूल रीति में विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विनिर्दिष्ट उपबंध समाविष्ट किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा के अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति सुसंगत अधिनियमों तथा तदधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन यानीय संचलन के अनुपालन को निगरानी करेगी ।

(15) **यानीय प्रदूषण:-** लागू विधियों के अनुसार वाहन प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण का अनुपालन किया जाएगा। स्वच्छक ईंधन उदाहरण के लिए सीएनजी, आदि के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगें ।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां: -** (i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर प्रदूषण कारित करने वाले नए उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में फरवरी, 2016 के भीतर सिर्फ गैर-प्रदूषित उद्योगों की स्थापना के वर्गीकरण की अनुमति दी जाएगी, जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण: -** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों को उपदर्शित किया जाएगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

(ख)कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

(18) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, यदि यह आवश्यक विचार करती है, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने में अन्य उपाय विनिर्दिष्ट करेगा।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची – पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड), 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 के 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 के 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 के 53) के उपबंधों तथा उनमें किए गए संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	वर्णन
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां।	(क) सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होंगी ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा ।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में नए उद्योग और उद्योगों में विद्यमान प्रदूषण का विस्तार अनुज्ञा नहीं होगी। फरवरी, 2016 में जब तक कि इस प्रकार अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर केवल गैर- प्रदूषण कुटीर उद्योगों की अनुज्ञा दी जाएगी।
3.	नई मुख्य तापीय और जल विद्युत परियोजना की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।

	उत्पादन या प्रसंस्करण।	
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्त्रावों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
7.	ईंट भट्ठों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
8.	जलावन लकड़ियों का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
9.	पोलिथीन बैगों का उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
ख. विनियमित क्रियाकलाप		
10.	होटलों और रिसोर्टों का वाणिज्यिक स्थापना।	पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए लघु अस्थायी संरचनाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र सीमा के एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक ही जो भी निकट हो कोई नया वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात होंगे अन्यथा नहीं : परन्तु संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर परे या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, जो भी निकट हो सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार यथालागू पर्यटन महायोजना के अनुरुप होगा।
11.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि में स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने लिए संनिर्माण करने की अनुमति भवन उपविधियों के अनुसार दी जाएगी : (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण; (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुखसुविधाओं का संनिर्माण और - नवीकरण; (iii) फरवरी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में केन्द्रीय 2016, द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार प्रदूषणकारी लघु उद्योग- परिभाषित गैर ; (iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग हैं; सुविधा भण्डार और स्थानीय सुख सुविधाओं जो पारिस्थितिकी पर्यटन में जिस में गृह वास भी है सहायक हो; और (v) इस अधिसूचना में सूचीबद्ध संवर्धित : क्रियाकलापों की सूची (ख) परन्तु ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे। (ग) एक किलोमीटर से आगे आंचलिक महायोजना की अनुसार विनियमित होंगे।

12.	फर्मों, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के सिवाय लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
13.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकट में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
14.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी।
15.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण (एनटीएफपी)।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
16.	विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण और केबलों के बिछाए जाने और अन्य बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। भूमिगत केबल के बिछाए जाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
17.	नागरिक सुख-सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों नियमों और विनियमों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ विनियमित किए जाएंगे।
18.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण।	लागू विधियों नियमों और विनियमों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ विनियमित किए जाएंगे।
19.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस और अन्य पर्यटन क्रियाकलाप आदि द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
20.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
21.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
22.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ डेयरियों दुग्ध उत्पादन जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
23.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण।	उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण जल निकायों में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे और उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्रावों का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार अधीन किया जाएगा ।
24.	सतह और भूजल के वाणिज्यिक निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
25.	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुले कुआ, बोर कुआ, आदि।	विनियमित और सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलाप की निगरानी की जाएगी।
26.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
27.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।

28.	पारिस्थितिक पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
29.	वाणिज्यिक सूचना पर और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
	ग. संवर्धित क्रियाकलाप	
30.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
31.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
32.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को अंगीकृत करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
34.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का उपयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को बढ़ावा दिया जाना है ।
35.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	पारिस्थितिक अनुकूल परिवहन का उपयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	निम्नीकृत भूमि या वन या वास की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	पर्यावरणीय जागरुकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. निगरानी समिति और इसके निबंधन और शर्तें- (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी निगरानी के लिए एक निगरानी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(i) उपायुक्त, पूर्वी जंतीया पहाड़ियां जोवाई - अध्यक्ष ;

(ii) पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ जिसे मेघालय सरकार द्वारा ती वर्ष के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाएगा -सदस्य;

(iii) गैर सरकारी संगठन का प्रतिनिधि (जो पर्यावरण और विरासत संरक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रहा है) जिसे मेघालय राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा – सदस्य;

(iv) कार्यपालक इंजीनियर, मेघालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड -सदस्य;

(v) मुख्य वन अधिकारी राज्य सरकार -सदस्य;

(vi) राज्य सरकार द्वारा नामर्दिष्ट करने के लिए जैवविविधता के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ- -सदस्य;

(vii) प्रभागीय वन अधिकारी, (वन्यजीव) – सदस्य-सचिव।

6. निर्देश – निबंधन.-

(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को निगरानी करेगी।

(2) निगरानी समिति की अवधि तीन वर्ष या तक होगी जब तक राज्य सरकार द्वारा गठित किया जाता है और निगरानी समिति की अवधि अवसान के पश्चात उत्तरवर्ती निगरानी समिति उप पैरा (1) के उपाबंध के अनुसार राज्य द्वारा पुन: गठित की जाएगी।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, किंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त या संबद्ध उद्यान उप वन संरक्षक ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) निगरानी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्य जीव वार्डन को **उपाबंध IV** में उपबंधित रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

7. अतिरिक्त उपाय.- इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे।

8. उच्चतम न्यायालय आदि, आदेश.- भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय या माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन, इस अधिसूचना के उपबंध होंगे।

[फा.सं. 25/156/2015-ईएसजेड]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

नरपुह वन्यजीव अभयारण्य, पूर्व जयन्तिया पहाड़ी जिला, मेघालय के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

उत्तर: लुखा/सिमलिंग नदी के साथ धारा के जंक्शन से बिंदु सं. 1 के उ25°07'45.35" पू92°34'49.79" के धारा प्रवाह के साथ उत्तर पूर्वी भाग की ओर जाती है फिर यह बिंदु सं. 2 के उ25°08'4.15" पू 92°35'16.09" अन्य धारा के साथ जंक्शन की ओर जाती है इसके बाद धारा प्रवाह के साथ उत्तर पश्चिमी भाग की ओर जाती है फिर यह बिंदु सं. 3 के उ25°09'14.19" पू 92°34'40.20" के स्रोत की ओर जाती है इसके बाद उत्तर पश्चिमी भाग की ओर जाकर यह बिंदु सं. 4 के उ25°09'29.64" पू92°34'29.72" के पहाड़ी ऊँचाई तक जाती है इसके बाद पहाड़ी श्रेणी के साथ दक्षिण पश्चिमी भाग की ओर जाकर यह बिंदु सं. 5 के उ25°09'17.55" पू92°33'56.89" पहुँचती है इसके बाद दक्षिण पश्चिमी भाग की ओर जाकर यह बिंदु सं. 6 के उ25°09'11.97" पू92°33'44.71" के धारा स्रोत जाती है इसके बाद धारा के साथ उत्तर पश्चिमी भाग की ओर जाकर यह बिंदु सं. 7 के उ25°09'53.70" पू92°32'35.28" अन्य धारा प्रवाह के साथ धारा जंक्शन जाती है इसके बाद बिंदु सं. 8 के उ25°10122.81" पू92°31'34.78" में पहाड़ी ऊँचाई की सीधी रेखा के साथ उत्तर पश्चिमी भाग की ओर जाती है इसके बाद सीधी रेखा के साथ पश्चिमी भाग की ओर जाकर यह बिंदु सं. 9 के उ25°10'23.79" पू92°30'32.35" के दो धाराओं के जंक्शन पहुँचती है इसके बाद धारा के साथ दक्षिण पश्चिमी भाग की ओर जाकर फिर यह बिंदु सं. 10 के उ25°10'16.77" पू92°30'20.32" के अन्य धारा के साथ उसी धारा के जंक्शन बिंदु पहुँचती है इसके बाद धारा के साथ उत्तर पश्चिमी भाग की ओर जाकर यह बिंदु सं. 11 के उ25°10'33.86" पू92°29'32.64" के स्रोत पहुँचती है इसके बाद घाटी के निचले हिस्से के साथ दक्षिण पश्चिमी भाग की ओर जाकर यह बिंदु सं. 12 के उ25°10'25.83" पू92°28'56.55" पहुँचती है इसके बाद घाटी के निचले हिस्से के साथ पश्चिमी भाग

की ओर जाकर यह बिंदु सं. 13 के उ25°10'24.92" पू92°27'43.39" पहुँचती है इसके बाद सीधी रेखा के साथ पश्चिमी भाग की ओर जाकर यह बिंदु सं. 14 के उ25°10'121.05" पू92°26'49.31" के धारा के स्त्रोत पहुँचती है इसके बाद धारा के साथ दक्षिण पश्चिमी भाग की ओर जाकर यह बिंदु सं. 15 के उ25°10'01.81" पू92°26103.80" लूनर नदी पहुँचती है।

पश्चिम: लूनर नदी के किनारे में बिंदु सं. 15 के उ25°10'01.81" पू92°26'03.80" के किनारे से लगभग 1.20 किलोमीटर की दूरी पर लूखा नदी के उत्तरी किनारे के समानान्तर रेखा के साथ दक्षिण पश्चिमी भाग की ओर जाती है बिंदु सं.16 के उ25°09'45.16" पू92°25'35.54", बिंदु सं.17 के उ25°9'17.53" पू92°24'56.11", बिंदु सं.18 के उ25°8'42.55" पू92°23'40.23", बिंदु सं.19 के उ25°8'36.41" पू92°22'53.71", बिंदु सं.20 के उ25°8'28.30" पू92°22'45.00", बिंदु सं.21 के उ25°8'14.85" पू92°22'36.68", बिंदु सं.22 के उ25°7'57.27" पू92°22'39.45", बिंदु सं.23 के उ25°7'38.12" पू92°22'16.24", बिंदु सं.24 के उ25°7'21.22" पू92°21'35.24", बिंदु सं.25 के उ25°7'13.51" पू92°21'17.90", बिंदु सं.26 के उ25°7'2.48" पू92°21'7.11", बिंदु सं.27 के उ25°6'52.36" पू92°20'54.51", बिंदु सं.28 के उ25°6'32.69" पू92°20'42.34", बिंदु सं.29 के उ25°6'26.69" पू92°20'33.79", बिंदु सं.30 के उ25°6'0.08" पू92°20'23.97", बिंदु सं.31 के उ25°5'30.53" पू92°20'19.40", बिंदु सं. 32 के उ25°5'8.010' पू92°20'20.64" से होते हुए जाती है।

दक्षिण: बिंदु सं 32 उ25°5'8.00" पू92°20'20.64" से सीधी रेखा के साथ दक्षिण पूर्वी भाग की ओर बिंदु सं. 33 के उ25°04'55.56" पू92°20'26.42" तक जाती है यह बिंदु सं 34 के उ25°04 41.22" पू 92°20' 49.58" के लुखा नदी के किनारे पश्चिम से मिलती है इसके बाद सीधी रेखा के साथ दक्षिण पूर्वी भाग की ओर जाकर यह बिंदु सं 35 के उ 25°04'21.36" पू92°21'45.67" में राष्ट्रिय राजमार्ग 44 के साथ पूर्वी भाग की ओर जाकर यह बिंदु सं 36 के उ25°04'09.42" पू92°22'45.82" पहुँचती है इसके बाद सीधी रेखा के साथ दक्षिण पूर्वी भाग की ओर जाकर बिंदु सं 37 केउ25°04101.65" पू92°23'18.33" धारा से मिलती है इसके बाद धारा के साथ उत्तर पूर्वी भाग की ओर जाकर यह बिंदु सं.38 के उ25°04'45.66" पू92°24121.05" स्त्रोत जाती है इसके बाद यह सीधी रेखा के साथ उत्तर पूर्वी भाग की ओर जाकर यह बिंदु सं 39 के उ25°04'53.91" पू92°24'55.69" पहुंचती है इसके बाद पर्वत श्रेणी के साथ दक्षिण पूर्वी की ओर जाकर यह बिंदु सं 40 के उ25°04'38.34" पू92°25'14.59" पहुंचती है इसके बाद पर्वत क्षेणी के साथ दक्षिण पश्चिम भाग की ओर जाकर यह बिंदु सं 41 के उ25°03'32.28" पू92°24'12.64" पहुंचती है इसके बाद सीधी रेखा के बाद दक्षिणी पूर्वी भाग की ओर जाकर यह बिंदु सं 42 के उ25°03'07.71" पू92°24'31.90" नरपुह आरक्षित वन खंड II की सीमा के साथ दक्षिण पूर्वी भाग की ओर जाकर यह बिंदु सं 43 के उ25°03'00.58" पू92°24'33.21" पहुंचती है इसके बाद नरपुह आरक्षित वन खंड II की सीमा के साथ पश्चिमी भाग की ओर जाकर यह बिंदु सं 44 के उ25°03101.80" पू92°24'25.06"पहुंचती है इसके बाद नरपुह आरक्षित वन खंड II की सीमा के साथ दक्षिण पश्चिमी भाग की ओर जाकर यह राष्ट्रीय राजमार्ग 45 के उ25°02'57.26" पू92°24'21.92" पहुंचती है इसके बाद नरपुह आरक्षित वन II की सीमा के साथ दक्षिण पूर्वी भाग की ओर जाकर यह बिंदु सं उ25°01'45.65" पू92°25'43.39". के असम, मेघालय और बांग्लादेश सीमाओं के त्रि-जंक्शन बिंदु पहुंचती है।

पूर्व: बिंदु सं 46 के उ25°01'45.65" पू92°25'43.39" के असम, मेघालय और बांग्लादेश सीमाओं के त्रि-जंक्शन बिंदु से असम मेघालय अंत: राज्य सीमा के साथ उत्तर पूर्वी भाग की ओर जाकर यह बिंदु सं 47 के उ25°06'10.98" पू92°28'46.12" के नरपुह वन्यजीव अभयारण्य की सीमा पहुंचती है इसके बाद असम मेघालय अत: राज्य सीमा के साथ उत्तरी भाग की ओर जाकर यह बिंदु सं 48 के उ25°06'33.14" पू92°28'54.74" पहुंचती है इसके बाद असम मेघालय अत: राज्य सीमाके साथ पूर्वी भाग की ओर जाकर यह बिंदु सं 49 के उ25°06'3.08" पू92°32'29.33"पहुंचती है इसके बाद असम मेघालय अत: राज्य के साथ उत्तर पश्चिमी भाग की ओर जाकर यह बिंदु सं. 50 के उ25°08'19.81" पू92°31'27.21" के लुखा सीमलनेग नदी पहुंचती है इसके बाद लुखा सीमलनेंग नदी के साथा पूर्वी भाग की ओर जाकर यह बिंदु सं 1 के उ25°08'19.81" पू92°31'27.21" में धारा के साथ लुखा सीमलनेग नदी के जंक्शन पहुंचती है।

उपाबंध-II

नरपुह वन्यजीव अभयारण्य, मेघालय के पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र.सं.	ग्राम	अक्षांश	देशांतर	निकटता
1	खोइंगोइ	25°11' 4.84" उ	92°32' 31.28" पू	अंशत:
2	मुलीअन	25°11'48.5011उ	92°29' 26.90" पू	अंशत:
3	खाद्दुम	25°9' 15.50" उ	92°26' 48.60" पू	अंशत:
4	पान्दारी	25°9' 19.63"उ	92°24' 52.75" पू	अंशत:
5	बरीचयरनोट	25°9' 49.70"उ	92°25' 28.30" पू	अंशत:
6	सखारी	25°8' 19.91"उ	92°24'30.12" पू	अंशत:
7	लुमटों गसेंग	25°8' 7.02"उ	92°23' 28.40" पू	अंशत:
8	टोंगसेंग	25°8' 36.10"उ	92°22' 38.60" पू	अंशत:
9	मायरली	25°7' 47.85"उ	92°21' 11.74" पू	अंशत:
10	सोनापुर	25°6' 47.00"उ	92°22' 19.90" पू	अंशत:
11	चायमपोंग	25°6' 13.90"उ	92°20' 44.90" पू	अंशत:
12	बोसोरा	25°5' 7.50"उ	92°20' 35.90" पू	अंशत:
13	कुलीअंग	25°4' 28.50"उ	92°21' 56.20" पू	अंशत:
14	पयटाकुना	25°4' 15.36"उ	92°22' 36.93" पू	अंशत:
15	पहर	25°4' 40.90"उ	92°24' 35.40" पू	अंशत:
16	उमाकीअंग	25°3' 41.90"उ	92°23' 9.90" पू	अंशत:
17	वाचकोन	25°3' 1.60"उ	92°24' 14.50" पू	अंशत:
18	दोना सकुर	25°2' 43.11"उ	92°24' 30.31" पू	पूर्णतया
19	दोना अमबलुह	25°2' 32.09"उ	92°24' 56.34" पू	पूर्णतया

उपाबंध-II क

नरपुह वन्यजीव अभयारण्य की सीमा और पारिस्थितिक संवेदी जोन के साथ भू- मंडलीय स्थिति प्रणाली के बिंदु

बिंदु सं.	अक्षांश	देशांतर
1.	25°7' 45.35"उ	92°34' 49.79" पू
2.	25°8' 4.149"उ	92°35' 16.09" पू
3.	25°9' 14.186"उ	92°34' 40.20" पू
4.	25°9' 29.642"उ	92°34' 29.72" पू
5.	25°9' 17.55"उ	92°33' 56.89" पू
6.	25°9'53.70"उ	92°32' 35.28" पू
7.	25°10' 22.81"उ	92°31' 34.78" पू
8.	25°10' 23.79"उ	92°30' 32.35" पू
9.	25°10' 16.77"उ	92°30' 20.32" पू
10.	25°10' 33.86"उ	92°29' 32.64" पू
11.	25°10' 25.83"उ	92°28' 56.55" पू
12.	25°10' 24.92"उ	92'27' 43.39" पू

13.	25°10' 21.05"उ	92°26' 49.31" पू
14.	25°10' 1.81"उ	92°26' 3.80" पू
15.	25 9' 45.16"उ	92°25' 35.54" पू
16.	25°9' 17.53"उ	92°24' 56.11" पू
17.	25°8' 42.55"उ	92°23' 40.23" पू
18.	25'8' 36.41"उ	92°22' 53.71" पू
19.	25°8' 28.30"उ	92°22' 45.00" पू
20.	25°8' 14.85"उ	92°22' 36.68" पू
21.	25°7' 57.27"उ	92 22' 39.45" पू
22.	25°7' 38.12"उ	92°22' 16.24" पू
23.	25°7' 21.22"उ	92°21' 35.24" पू
24.	25°7' 13.51"उ	92°21'17.90" पू
25.	25°7' 2.48"उ	92°21'7.11" पू
26.	25°6' 52.36"उ	92°20'54.51" पू
27.	25°6' 32.69"उ	92°20'42.34" पू
28.	25°6'26.69"उ	92°20'33.79" पू
29.	25°6' 0.08"उ	92°20'23.97" पू
30.	25°5' 30.53"उ	92°20'19.40" पू
31.	25°5' 8.01"उ ,	92°20'20.64" पू
32.	25°4' 55.56"उ	92°20'26.42" पू
33.	25°4' 41.22"उ	92°20' 49.58"पू
34.	25°4' 21.36"उ	92°21' 45.67"पू
35.	25°4' 9.42"उ	92°22' 45.82"पू
36.	25°4' 1.65"उ	92°23' 18.33"पू
37.	25°4' 45.66"उ	92°24' 21.05"पू
38.	25°4' 53.91"उ	92°24'55.69" पू
39.	25°4' 38.34"उ	92°2.5' 14.59"पू
40.	25'3' 32.28"उ	92:24' 12.64"पू
41.	25°3' 7.71"उ	92°24' 31.90"पू
42.	25°3' 0.58"उ	92°24' 33.21"पू
43.	25°3' 1.80"उ	92°24' 25.06"पू
44.	25°2'57.26"उ	92°24' 21.92"पू
45.	25°1' 45.65"उ	92°25' 43.39"पू
46.	25°6'10.98"उ	92°28' 46.12"पू
47.	25°6' 33.14"उ	92°28' 54.74"पू
48.	25°6' 3.08"उ	92°32'29.33"पू
49.	25°8' 19.81"उ	92°31' 27.21"पू

उपाबंध –III

नरपुह वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र

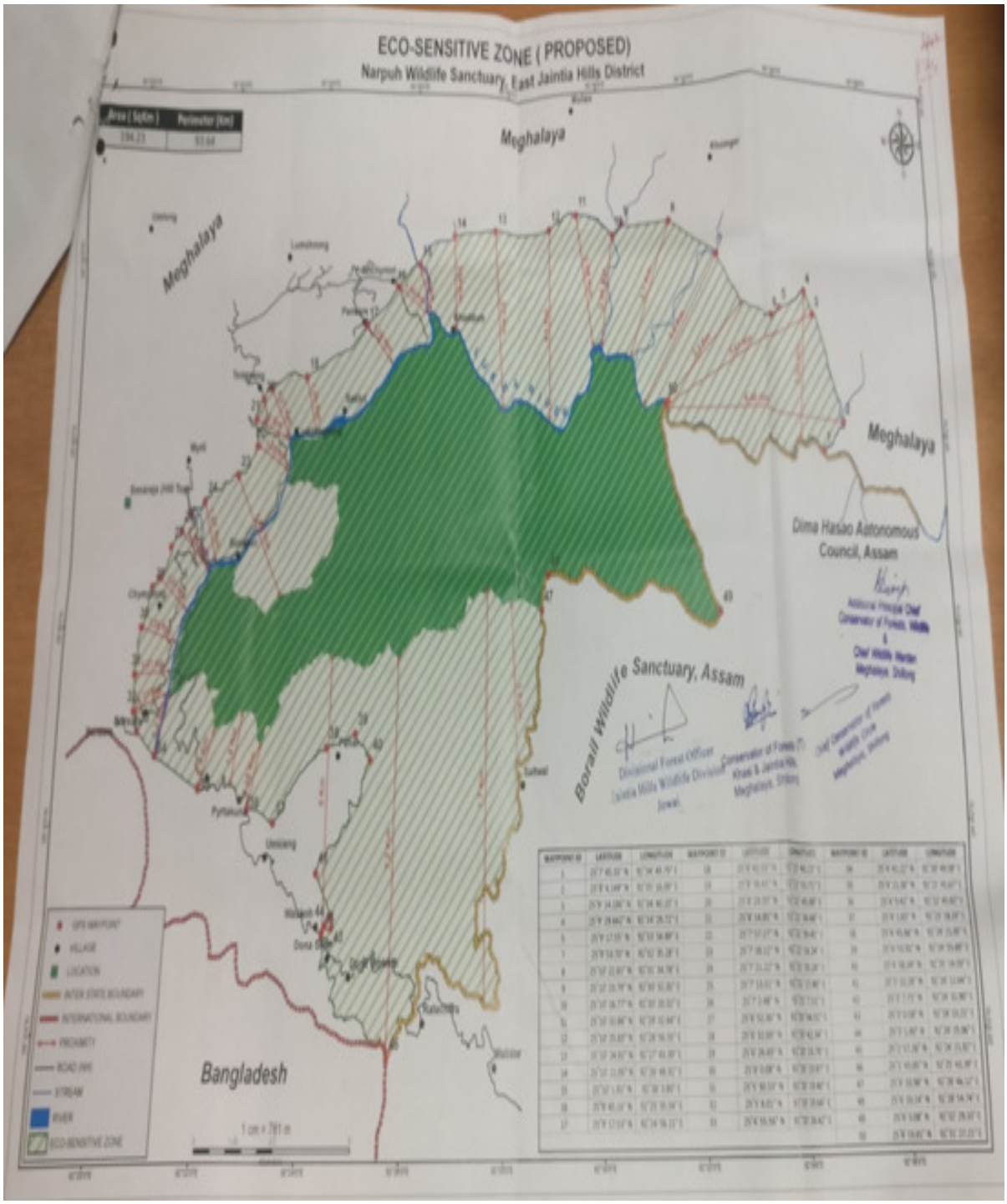

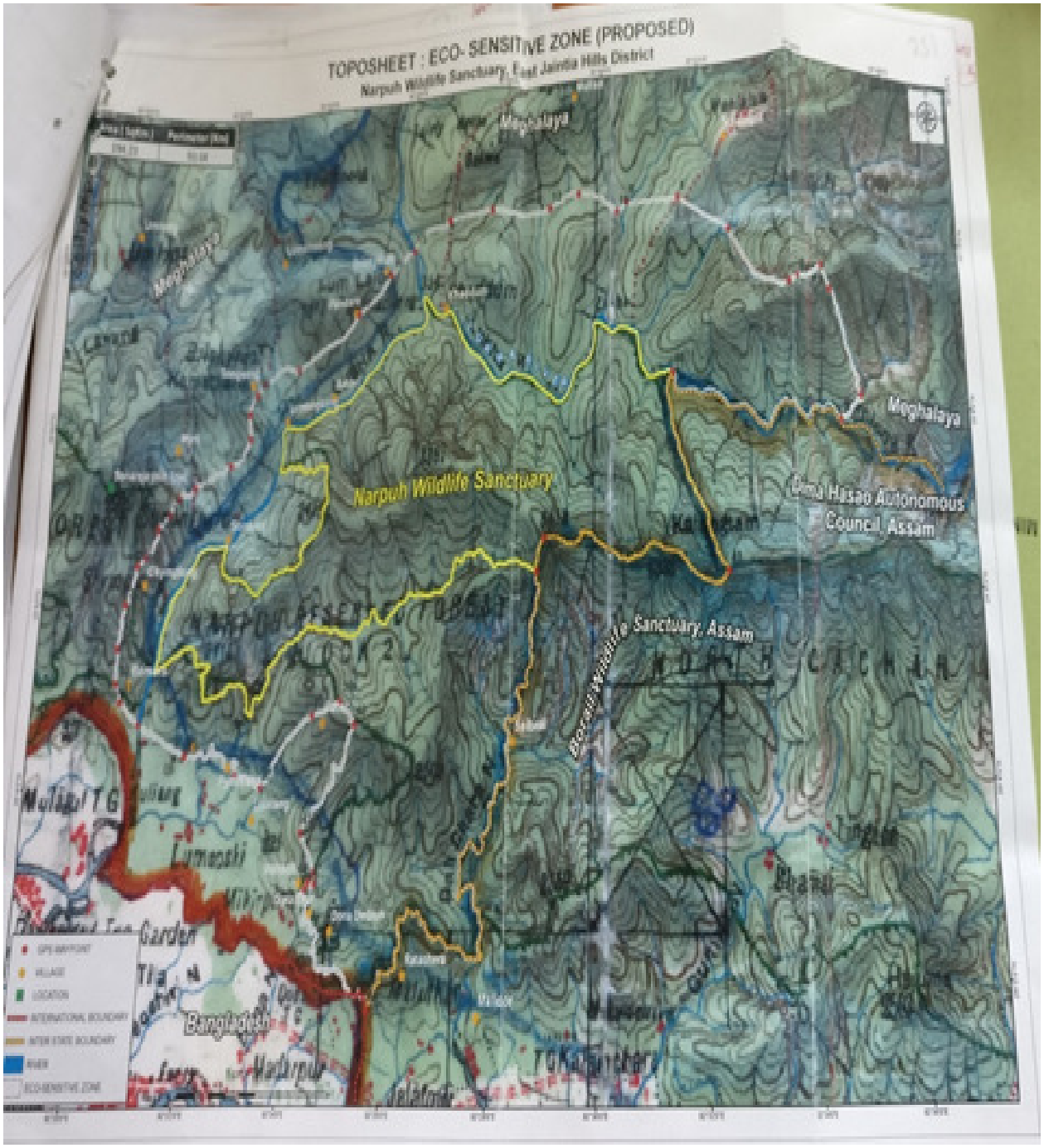

TOPOSHEET : ECO- SENSITIVE ZONE (PROPOSED)
Narpuh Wildlife Sanctuary, East Jaintia Hills District
Meghalaya
Meghalaya
Meghalaya
Narpuh Wildlife Sanctuary
Dima Hasao Autonomous Council, Assam
Borail Wildlife Sanctuary, Assam
Bangladesh

उपाबंध IV

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तिथि ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संवीक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th September, 2017

S.O.2942(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of the India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O 3124(E), dated 20th November 2015,inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, the copies of the Gazette containing the draft notification were made available to the public on the 20th November, 2015;

AND WHEREAS, objections and suggestions received from persons and stakeholders in response to the draft notification were duly considered;

AND WHEREAS, the Narpuh Wildlife Sanctuary, East Janita Hills Jowai, Meghalaya is lying between 25°05'19" to 25°06'14" North latitudes and 92°21'04" to 92°31'38" East latitudes;

AND WHEREAS, the flora and fauna represent rich biological significance of this Sanctuary which is bounded by the Reserved Forests around it, except a part of South West and Eastern part which is bounded by villages, and the state of Assam; the Northern part is bounded by the Lukha River forming a physical barrier; the entire area is very rich in plant and animal species which are of economical and medicinal significance; the Sanctuary is one of the few remaining wildlife habitat and is having diverse species of mammals viz., Hoollock Gibbon, Serow, Slow Loris, Sloth Bear, Large Indian Civet, Leopard Cat, Clouded Leopard, Barking Deer and different varieties of Squirrel viz., the Orange bellied Himalayan Squirrel, Northern Palm Squirrel, Irrawaddy Squirrel, Otter, Mongoose and varieties of fruit Bats viz., the Allied Horse Shoe Bat, great eastern Horse Bat, etc; the Narpuh Reserved Block II is also a habitat for varieties of birds where the India Horn Bill can still be sighted, butterfly and fishes of different varieties, some of which are endangered and endemic to these areas;

AND WHEREAS, the area is blessed with high rainfall during summer, high humidity and high temperature for much of the year and all these factors ensure a profuse range of diverse species of plants; the vegetation is mixed forest and no single species dominate the area and the vegetation is fairly undisturbed due to the inaccessibility of the area; this forest type is characterised by tall evergreen trees forming the bulk of the main top canopy, which is not continuous and is completed by a lower canopy of smaller trees of lower height making the canopy uneven at place; bamboos commonly

occurred in badly drain moist areas; epiphytes are found in abundance along with few climbers and Diptherocarpos occurred very rarely in localised patches only and those type constitute trees such as *Mesua ferra, macaranga, sp, Duabanga sp, Eugena jumbolina, Terminalia myrocarpa, Terminalia Chebula, Vitex penduncularis, Vitex Negundo, Mechelia champaca, Gmelina arborea, Dysoxylum benectiferum and Amoora wallichi*;

AND WHEREAS; it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1 of this notification, around the protected area of Narpuh Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 1.20 kilo meter to 7.70 kilometer from the boundary of Narpuh Wildlife Sanctuary in the State of Meghalaya as the Narpuh Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereinafter referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.- (1) The Eco-sensitive Zone shall be of 194.23 square kilometres with an extent varying from 1.20 kilometers to 7.70 kilometer from the boundary of Narpuh Wildlife Sanctuary and the boundary details are given in **Annexure-I**.

(2) The list of villages falling in Eco-sensitive Zone are given in **Annexure-II**.

(3) The Global Position System Co-ordinates of points along the boundary of Narpuh Wildlife Sanctuary are given in **Annexure-II A**.

(4) The map of the Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure-III**.

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of Competent Authority in the State Government.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

(i) Environment;
(ii) Forest and Wildlife;
(iii) Agriculture and Horticulture;
(iv) Revenue;
(v) Urban Development;
(vi) Tourism including eco-tourism;
(vii) Rural Development;
(viii) Irrigation and Flood Control;
(ix) Municipal and urban development;
(x) Panchayati Raj;
(xi) Public Works Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded and degraded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps and the Plan shall be supported by maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in the in paragraph 4 Table and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(8)The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. **Measures to be taken by State Government.-** The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

1. **Landuse.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential complex or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government to meet the residential needs of the local residents and for activate such as:

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
(iii) small scale industries not causing pollution;
(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
(v) promoted activities given in the table in paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:
Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs/rivers/ channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan.

(3) **Tourism .-** (a) All new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b)The Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) no new construction of hotels and resorts shall be allowed within one kilometer from the boundary of the Narpuh Wildlife Sanctuary or upto the extent of the Eco- Sensitive Zone whichever is nearer: Provided that beyond the distance of one kilometer from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the eco-sensitive Zone, the

establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) Natural Heritage: All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution.- Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder.

8) Discharge of effluents.- Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (prevention and control of pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and rules made thereunder.

(9) Solid wastes.- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated 8th April, 2016 as amended from time to time;

the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(10) Bio-medical waste.-Bio medical waste management shall be as under.-

(a) the bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016 as amended from time to time.

(b) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(11). Plastic waste management.- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12). Construction and demolition waste management.- The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13). E-waste.- The e- waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

(14). Vehicular traffic.- The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15). Vehicular Pollution.- Prevention and control of vehicular pollution shall be carried out in accordance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuel for example CNG, etc.

(16). Industrial Units.- (i) No new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be permitted within the Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February 2016, unless otherwise specified in this notification.

(17). Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) no construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

(18) The Central Government and the State Government shall specify other additional measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-

All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone (CRZ), 2011 and the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No.	Activity	Description
	A. Prohibited Activities	
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) New and (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries including new oil and gas exploration causing pollution (water, air, soil, noise, etc.).	No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted. Only non-polluting industries shall be permitted within the Eco-sensitive zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February 2016, unless specified in this notification.
3.	Establishment of major thermal and major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.

6.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Commercial use of fire wood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	Use of plastic bags.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
		B. Regulated Activities
10.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
11.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub paragraph (1) of paragraph 3 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents such as: (i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads; (ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities; (iii) Small scale industries not causing pollution termed as per Classification done by Central Pollution Control Board of February 2016; (iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stays; and (v) Promoted activities listed in this Notification. (b) Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (c) Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
12.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, companies, etc.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws except for meeting local needs.
13.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the Competent Authority.
14.	Felling of trees	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Acts and the rules made thereunder.
15.	Collection of Forest Produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
16.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws. underground cabling may be promoted.
17.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.

18.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
19.	Under taking other activities related to tourism like over flying the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated under applicable laws.
20.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
21.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
22.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
23.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
24.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable laws.
25.	Open well, bore well etc. for agriculture or other usage.	Regulated (under applicable laws) and the activity shall be monitored by the concerned.
26.	Solid waste management or bio-medical waste management.	Regulated under applicable laws.
27.	Introduction of exotic. species.	Regulated under applicable laws.
28.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
29.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
	C. Promoted Activities	
30.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
31.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
32.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
33.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
34.	Use of renewable energy and fuels.	Bio gas, solar light, etc. to be actively promoted.
35.	Agro-forestry	Shall be actively promoted.
36.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
37.	Skill development.	Shall be actively promoted.
38.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
39.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee and its terms of reference.- (1) The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of the following, namely:-

(i) Deputy Commissioner, East Jantia Hills Jowai - Chairman;

(ii) An expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Meghalaya - Member;

(iii) One representatives of Non-governmental Organization (working in the field of environment including heritage Conservation) to be nominated by the Government of Meghalaya - Member;

(iv) Executive Engineer, Meghalaya Pollution Control Board - Member;

(v) Chief Forest Officer, state Govt. - Member;

(vi) Expert in Biodiversity nominated by State Government . - Member;

(vii) Divisional Forest Officer (Wildlife) - Member-Secretary .

6. Terms of Reference.- (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring Committee shall be three years or till it is reconstituted by the State Government, and after the expiry of the tenure of the Monitoring Committee, the subsequent Monitoring Committee shall be reconstituted by the State Government in accordance with the provision of sub-paragraph (1).

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column(3) of the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 but are falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column (3) of the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the concerned park in-charge shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change as per pro forma given in **Annexure IV.**

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. Additional measures.- The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. Supreme Court, etc, orders.- The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or the National Green Tribunal.

[F.No.25/156/2015-ESZ]
LALIT KAPUR, Scientist 'G'

ANNEXURE-I

Boundary Description of Eco-sensitive Zone of the Narpuh Wildlife Sanctuary, East Jaintia Hills District, Meghalaya

North: From the junction of a stream with River Lukha/Simlieng at Point No. 1 at N25°07'45.35" E92°34'49.79" proceed towards the Northeastern side along the former stream till its junction with another stream at Point No. 2 at N25°08'4.15" E92°35'16.09" then proceed towards the Northwestern side along the later stream till its source at Point No. 3 at N25°09'14.19" E92°34'40.20" then proceeds towards the Northwestern side till the hill top at Point No. 4 at N25°09'29.64" E92°34'29.72" then proceed towards Southwestern side along the mountain ridge till it reaches Point No.

5 at N25°09'17.55" E92°33'56.89" then proceeds towards Southwestern side till source of a stream at Point No. 6 at N25°09'11.97" E92°33'44.71" then proceeds towards Northwestern side along a stream till junction of this stream with another stream at Point No. 7 at N25°09'53.70" E92°32'35.28" then proceeds towards north western side along a straight line to a hill top at Point No. 8 at N25°10122.81" E92°31'34.78" then proceeds towards western side along a straight line till it reaches junction of two streams at Point No. 9 at N25°10'23.79" E92°30'32.35" then proceeds towards Southwestern side along a stream till it reaches junction of this stream with another stream at Point No. 10 at N25°10'16.77" E92°30'20.32" then proceeds towards the Northwestern side along a stream till it reaches its source at Point No. 11 at N25°10'33.86" E92°29'32.64" then proceeds towards Southwestern side along the bottom of a valley till it reaches Point No. 12 at N25°10'25.83" E92°28'56.55" then proceeds towards Western side along, the bottom of a valley till it reaches Point No. 13 at N25°10'24.92" E92°27'43.39" then proceeds towards Western side along a straight line till it reaches source of a stream at Point No. 14 at N25°10'121.05" E92°26'49.31" then proceeds towards Southwestern side along a stream till it reaches Lunar river at Point No. 15 at N25°10'01.81" E92°26103.80".

West: From bank of Lunar river at Point No. 15 at N25°10'01.81" E92°26'03.80" proceeds towards Southwestern side along a line running parallel to northern bank of Lukha river at a distance of about 1.20 km from the said bank and passing through Point No. 16 at N25°09'45.16" E92°25'35.54", Point No.17 at N25°9'17.53" E92°24'56.11", Point No.18 at N25°8'42.55" E92°23'40.23", Point No.19 at N25°8'36.41" E92°22'53.71", Point No.20 at N25°8'28.30" E92°22'45.00", Point No.21 at N25°8'14.85" E92°22'36.68", Point 'No.22 at N25°7'57.27" E92°22'39.45", Point No.23 at N25°7'38.12" E92°22'16.24", Point No.24 at N25°7'21.22" E92°21'35.24", Point No.25 at N25°7'13.51" E92°21'17.90", Point No.26 at N25°7'2.48" E92°21'7.11", Point No.27 at N25°6'52.36" E92°20'54.51", Point No.28 at N25°6'32.69" E92°20'42.34", Point No.29 at N25°6'26.69" E92°20'33.79", Point No.30 at N25°6'0.08" E92°20'23.97", Point No.31 at N25°5'30.53" E92°20'19.40", Point No. 32 at N25°5'8.010' E92°20'20.64".

South: From the Point No. 32 at N25°5'8.00" E92°20'20.64" proceeds towards Southeastern side along a straight line to Point No. 33 at N25°04'55.56" E92°20'26.42" then proceeds towards Southeastern side along a straight line till its meets western bank of River Lukha at Point No. 34 at N25°04 41.22" E 92°20' 49.58" then proceeds towards Southeastern side along a straight line till it reaches National Highway 44 at Point No. 35 at N 25°04'21.36" E92°21'45.67" then proceeds towards eastern side along the National Highway 44 till its reaches Point No. 36 at N25°04'09.42" E92°22'45.82" then proceeds towards Southeastern side along a straight line till it meets a stream at Point No. 37 at N25°04101.65" E92°23'18.33" then proceeds towards Northeastern side along a stream till its source at Point No. 38 at N25°04'45.66" E92°24121.05" then proceeds towards Northeastern side along a straight line till reaches Point No. 39 at N25°04'53.91" E92°24'55.69" then proceeds towards Southeastern along a mountain ridge till it reaches Point No. 40 at N25°04'38.34" E92°25'14.59" then proceeds towards Southwestern side along a mountain ridge till it reaches Point No. 41 at N25°03'32.28" E92°24'12.64" then proceeds towards Southeastern side along a straight line till it reaches boundary of Narpuh Reserved Forest Block-II at Point No. 42 at N25°03'07.71" E92°24'31.90" then proceeds towards Southeastern side along the boundary of Narpuh Reserved Forest Block-II till it reaches Point No. 43 at N25°03'00.58" E92°24'33.21" then proceeds towards Western side along the boundary of Narpuh Reserved Forest Block-II till it reaches Point No. 44 at N25°03101.80" E92°24'25.06" then proceeds towards Southwestern side along the boundary of Narpuh Reserved Forest Block-II till it reaches National Highway 45 at N25°02'57.26" E92°24'21.92" then proceeds towards Southeastern side along the boundary of the Narpuh Reserved Forest Block-II till its reaches tri—junction point of Assam, Meghalaya and Bangladesh boundaries at Point No. 46 at N25°01'45.65" E92°25'43.39".

East: From the tri—junction of Assam, Meghalaya and Bangladesh boundaries at Point No. 46 at N25°01'45.65" E92°25'43.39" proceeds towards Northeastern side along the Assam Meghalaya inter-State boundary till it reaches boundary of the Narpuh Wildlife Sanctuary at Point No. 47 at N25°06'10.98" E92°28'46.12" then proceeds towards the northern side along the Assam-Meghalaya inter-State boundary till it reaches point No. 48 at N25°06'33.14" E92°28'54.74" then proceeds towards eastern side along the Assam-Meghalaya inter-State boundary till it reaches Point No. 49 at N25°06'3.08" E92°32'29.33" then proceeds towards Northwestern side along the Assam-Meghalaya inter-State boundary till it reaches Lukha/Simlieng river at Point No. 50 at N25°08'19.81" E92°31'27.21"then proceeds towards eastern side along the Lukha/Simlieng river till it reaches junction of Lukha/Simlieng river with a stream at Point No. 1 at N25°07145.35" E92°34'40.79".

Annexure-II

List of villages falling in Eco-sensitive Zone of Narpuh Wildlife Sanctuary, Meghalaya.

SL NO	VILLAGE	LATITUDE	LONGITUDE	PROXIMITY
1	Khoingoi	25°11' 4.84" N	92°32' 31.28" E	Partly
2	Mulian	25°11' 48.5011N	92°29' 26.90" E	Partly
3	Khaddum	25°9' 15.50" N	92°26' 48.60" E	Partly
4	Pandare	25°9' 19.63" N	92°24' 52.75" E	Fully
5	Brichyrnot	25°9' 49.70" N	92°25' 28.30" E	Partly
6	Sakhri	25°8' 19.91" N	92°24'30.12" E	Fully
7	Lumtongseng	25°8' 7.02" N	92°23' 28.40" E	Fully
8	Tongseng	25°8' 36.10" N	92°22' 38.60" E	Partly
9	Myrli	25°7' 47.85" N	92°21' 11.74" E	Partly
10	Sonapur	25°6' 47.00" N	92°22' 19.90" E	Fully
11	Chymplong	25°6' 13.90" N	92°20' 44.90" E	Fully
12	Borsora	25°5' 7.50" N	92°20' 35.90" E	Fully
13	Kuliang	25°4' 28.50" N	92°21' 56.20" E	Fully
14	Pyrtakuna	25°4' 15.36" N	92°22' 36.93" E	Fully
15	Pahar	25°4' 40.90" N	92°24' 35.40" E	Partly
16	Umkiang	25°3' 41.90" N	92°23' 9.90" E	Partly
17	Wahkoh	25°3' 1.60" N	92°24' 14.50" E	Partly
18	Dona Skur	25°2' 43.11" N	92°24' 30.31" E	Fully
19	Dona Umbluh	25°2' 32.09" N	92°24' 56.34" E	Fully

ANNEXURE-II A

Global Position System Co-ordinates of points along the boundary of Narpuh Wildlife Sanctuary and Eco-sensitive Zone

WAYPOINT ID	LATITUDE	LONGITUDE
1.	25°7' 45.35" N	92°34' 49.79" E
2.	25°8' 4.149" N	92°35' 16.09" E
3.	25°9' 14.186" N	92°34' 40.20" E
4.	25°9' 29.642" N	92°34' 29.72" E
5.	25°9' 17.55" N	92°33' 56.89" E
6.	25°9'53.70"N	92°32' 35.28" E
7.	25°10' 22.81" N	92°31' 34.78" E
8.	25°10' 23.79" N	92°30' 32.35" E
9.	25°10' 16.77" N	92°30' 20.32" E
10.	25°10' 33.86" N	92°29' 32.64" E
11.	25°10' 25.83" N	92°28' 56.55" E
12.	25°10' 24.92" N	92'27' 43.39" E
13.	25°10' 21.05" N	92°26' 49.31" E
14.	25°10' 1.81" N	92°26' 3.80" E

15.	25 9' 45.16" N	92°25' 35.54" E
16.	25°9' 17.53" N	92°24' 56.11" E
17.	25°8' 42.55" N	92°23' 40.23" E
18.	25'8' 36.41" N	92°22' 53.71" E
19.	25°8' 28.30" N	92°22' 45.00" E
20.	25°8' 14.85" N	92°22' 36.68" E
21.	25°7' 57.27" N	92 22' 39.45" E
22.	25°7' 38.12" N	92°22' 16.24" E
23.	25°7' 21.22" N	92°21' 35.24" E
24.	25°7' 13.51" N	92°21'17.90" E
25.	25°7' 2.48" N	92°21'7.11" E
26.	25°6' 52.36" N	92°20'54.51" E
27.	25°6' 32.69" N	92°20'42.34" E
28.	25°6'26.69"N	92°20'33.79" E
29.	25°6' 0.08" N	92°20'23.97" E
30.	25°5' 30.53" N	92°20'19.40" E
31.	25°5' 8.01" N ,	92°20'20.64" E
32.	25°4' 55.56"N	92°20'26.42" E
33.	25°4' 41.22" N	92°20' 49.58"E
34.	25°4' 21.36" N	92°21' 45.67"E
35.	25°4' 9.42" N	92°22' 45.82"E
36.	25°4' 1.65" N	92°23' 18.33"E
37.	25°4' 45.66" N	92°24' 21.05"E
38.	25°4' 53.91" N	92°24'55.69" E
39.	25°4' 38.34" N	92°2.5' 14.59"E
40.	25'3' 32.28" N	92:24' 12.64"E
41.	25°3' 7.71" N	92°24' 31.90"E
42.	25°3' 0.58" N	92°24' 33.21"E
43.	25°3' 1.80" N	92°24' 25.06"E
44.	25°2'57.26"N	92°24' 21.92"E
45.	25°1' 45.65" N	92°25' 43.39"E
46.	25°6'10.98"N	92°28' 46.12"E
47.	25°6' 33.14" N	92°28' 54.74"E
48.	25°6' 3.08" N	92°32'29.33"E
49.	25°8' 19.81" N	92°31' 27.21"E

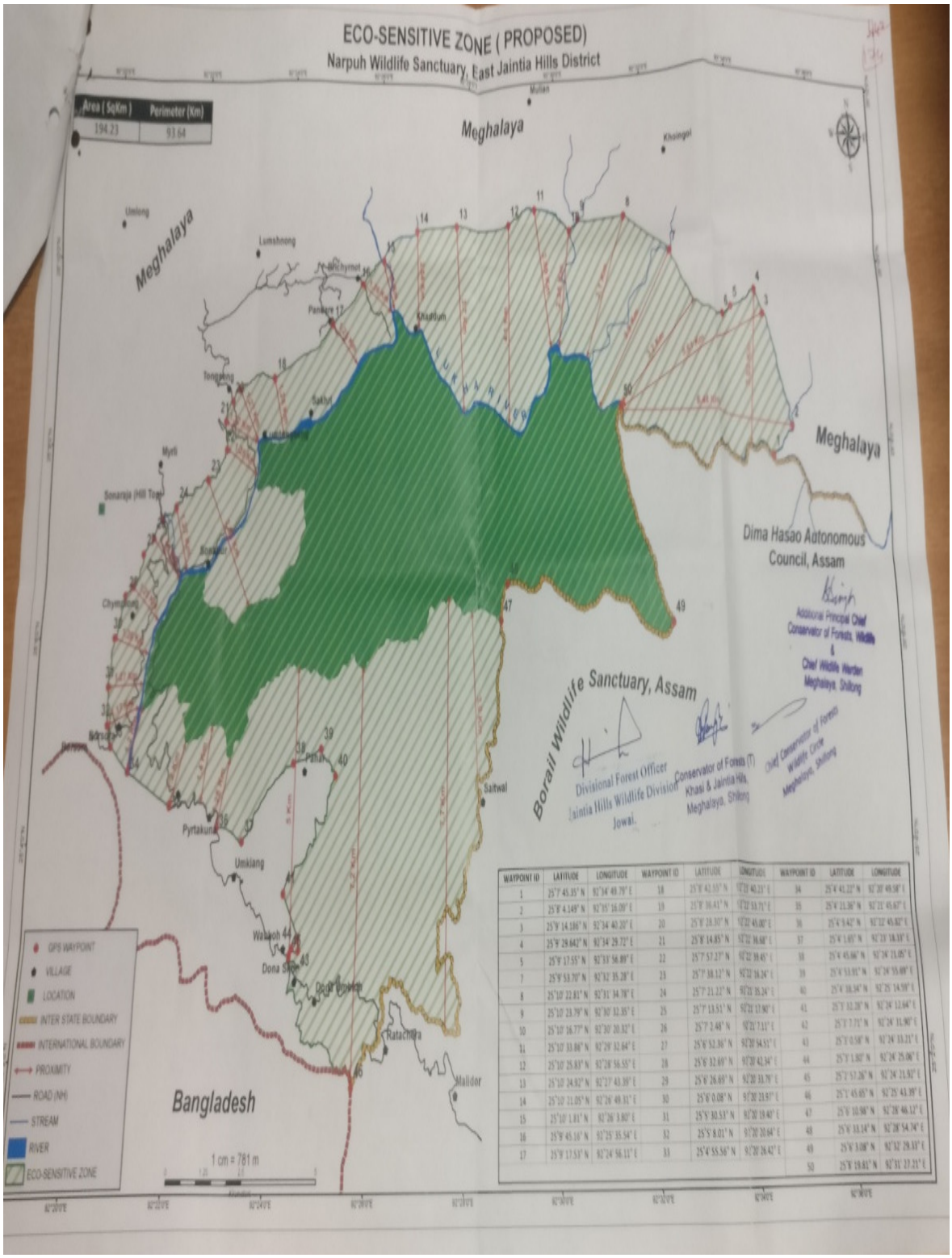

ANNEXURE-III

Map of Eco-sensitive Zone of Narpuh Wildlife Sanctuary

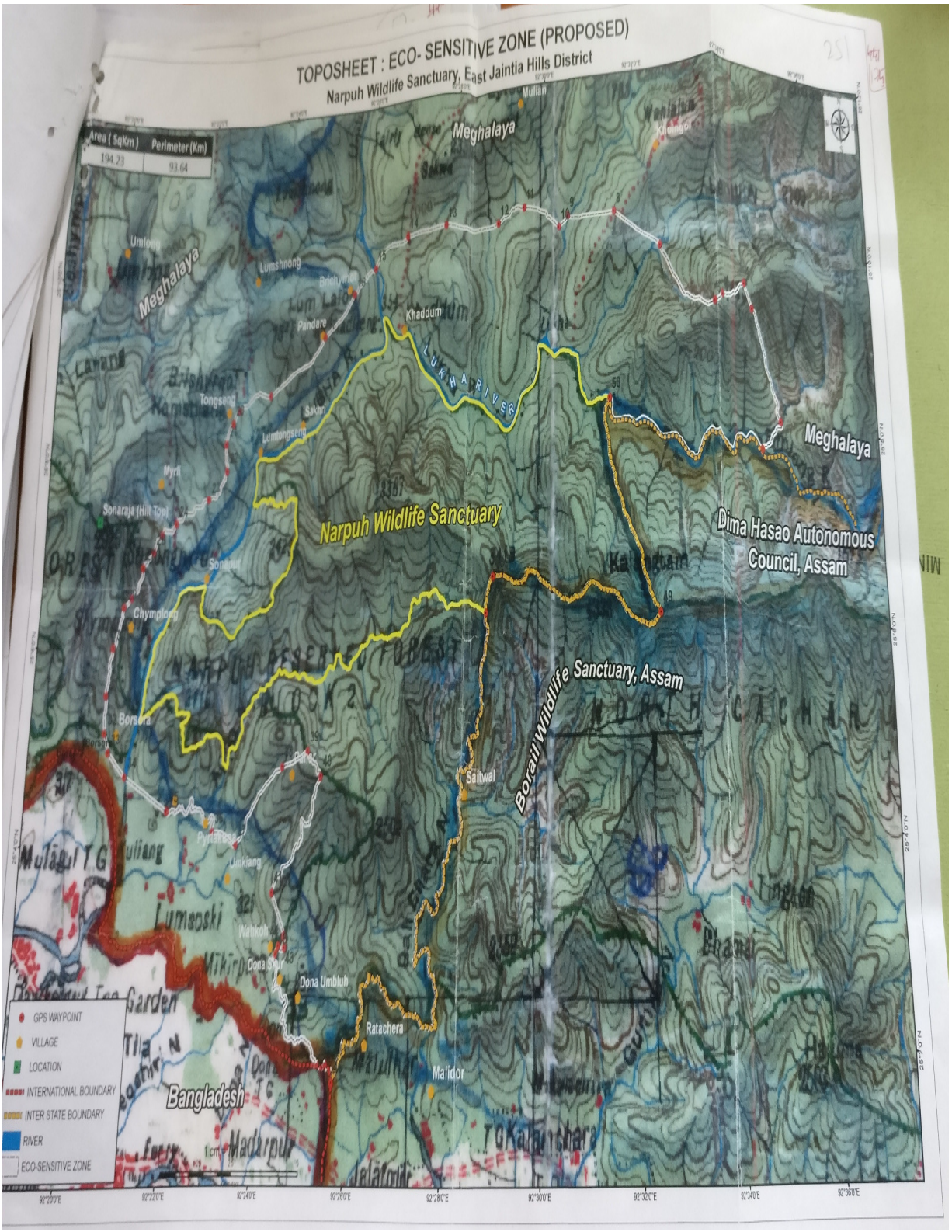

TOPOSHEET : ECO- SENSITIVE ZONE (PROPOSED)
Narpuh Wildlife Sanctuary, East Jaintia Hills District
Area (SqKm) Perimeter (Km)
194.23 93.64
Meghalaya
Narpuh Wildlife Sanctuary
Dima Hasao Autonomous Council, Assam
Borail Wildlife Sanctuary, Assam
Bangladesh
LUKHA RIVER
Umlong
Lumshnong
Pandare
Khaddum
Tongseng
Lumtongseng
Sakhri
Myrli
Sonaraja (Hill Top)
Chymplong
Borsora
Saitwal
Dona Umbluh
Ratachera
Malidor
GPS WAYPOINT
VILLAGE
LOCATION
INTERNATIONAL BOUNDARY
INTER STATE BOUNDARY
RIVER
ECO-SENSITIVE ZONE

ANNEXURE-IV

Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise):

   Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006:

   Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006:

   Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.09.07 19:08:42 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.